# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(77)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–बुरहानपुर
PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू-रा/2017/2426

शकुन्तला बाई तोमर पत्नी सुरेन्द्र सिंह तोमर, निवासी – बी–1/5 नेपानगर तहसील नेपानगर जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)
वर्तमान निवासी – 50 1 विशाल नगर अन्नपूर्णा रोड – इन्दौर (म.प्र.)
........... आवेदिका

विरूद्ध

मंगलाबाई पत्नी निवृत्ति महाजन निवासी – बुधवारा मार्केट एरिया नेपानगर कृषक ग्राम भातखेडा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
.......अनावेदक

श्री ........ द्वारा आज दि. 29.7.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**न्यायालय तहसीलदार नेपानगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, अनावेदिका द्वारा दिनांक 15.04.2015 को विचारण न्यायालय तहसीलदार नेपानगर के समक्ष भू–राजस्व संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत ग्राम भातखेडा स्थित उसके कृषि क्षेत्र क्रमांक 29/1 क्षेत्रफल 2.00 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
2. यहकि, अनावेदिका के उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार नेपानगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 129/अ–12/2014–15 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा उक्त पंजीयन दिनांक को राजस्व निरीक्षक नेपानगर को उक्त कृषि क्षेत्र का सीमांकन कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन दिये जाने हेतु आदेश पारित किये गये।

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बुरहानपुर/भूरा/2017/2426

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07-03-19 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।<br><br>अध्यक्ष | |